जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति — दिनांक 16.07.2022

थाना बाबरी

थाना बाबरी पुलिस व एसओजी टीम द्वारा ग्राम बन्तीखेड़ा में हुई लूट का सफल अनावरण करते हुए मुठभेड़ में 01 अभियुक्त घायल तथा लूट की योजना बनाते हुए 02 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा हुआ माल तथा अवैध हथियार बरामदः-

अवगत कराना है कि दिनांक 01/02.07.2022 की रात्रि में थाना बाबरी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बन्तीखेड़ा निवासी महिला से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। जिसके संबंध में पीडिता के परिजनों द्वारा थाना बाबरी पर लिखित तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 122/2022 धारा 394 भादवि में पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना स्थल का मौका मुआयना कर क्षेत्राधिकारी थानाभवन, थानाध्यक्ष बाबरी एवं एसओजी टीम शामली को घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। गठित टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु साक्ष्य संकलन करते हुए लूट की घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

जिसके क्रम में दिनांक 15.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/इनामी/वारंटी/संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग अ भियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाबरी एवं एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बन्तीखेड़ में हुई लूट की घटना में शामिल अभियुक्त जोगेन्द्र को उसके एक अन्य साथी दीपक के साथ लूट की योजना बनाते हुए बुटराडा लोई नहर पुल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जोगेन्द्र से की गई पूछताछ में बन्टी का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में आज दिनांक 16.07.2022 को थाना बाबरी एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त बन्टी घायल/गिरफ्तार किया गया है। घायल का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। जिसकी गिरफ्तारी हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु सीएचसी कुड़ाना भेजा गया है। घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 05 जिन्दा/01 खोखा कारतूस 315 बोर तथा थाना बाबरी पर पंजीकृत अभियोग 122/2022 धारा 394 भादवि से संबंधित लूटा गया माल बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता घायल/गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.बन्टी पुत्र नरम सिंह नि0 ग्राम योगेन्द्र नगर थाना भोपा जनपद मुन0गर।
2.जोगेन्द्र उर्फ जोगी पुत्र भजन उर्फ भजना नि0 ग्राम योगेन्द्र नगर थाना भोपा जनपद मु0नगर।
3.दीपक पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम इनामपुरा थाना मण्डावर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 05 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 315 बोर।
2.लूटा हुआ 01 ताबीज पीली धातू।
3.लूटा हुआ 01 जोडी कुण्डल पीली धातु।
4.अवैध 02 छुरा नाजायज।

आपराधिक इतिहास घायल/अभियुक्त बन्टीः-

1.मु0अ0सं0 259/14 धारा 147/323/341/394 भादवि थाना भोपा जनपद मु0नगर।
2.मु0अ0सं0 320/16 धारा 392/307 भादवि थाना भोपा जनपद मु0नगर।
3.मु0अ0सं0 371/17 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना भोपा जनपद मु0नगर।
4.मु0अ0सं0 471/16 धारा 380 बादवि थाना जानसठ मु0नगर।
5.मु0अ0सं0 235/20 धारा 397 भादवि थाना मीरापुर मु0नगर।

6.मु0अ0सं0 236/20 धारा 25/27/3 आर्म्स एक्ट थाना मीरापुर जनपद मु0नगर।
7.मु0अ0सं0 237/20 धारा 411/420/467 भादवि थाना मीरापुर मु0नगर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त जोगेन्द्र उर्फ जोगी</u>:-

1.मु0अ0सं0 217/21 धारा 380/411 भादवि थाना चरथावल मु0नगर।
2.मु0अ0सं0 22421 धारा 380/411 भादवि थाना चरथावल मु0नगर।
3.मु0अ0सं0 246/21 धारा 307 भादवि थाना चरथावल मु0नगर।
4.मु0अ0सं0 248/21 धारा 414 भादवि थाना चरथावल मु0नगर।
5.मु0अ0सं0 773/16 धारा 379/411 भादवि थाना बुढाना मु0नगर।
6.मु0अ0सं0 774/16 धारा 392/411 भादवि थाना भोपा मु0नगर।
7.मु0अ0सं0 69/16 धारा 379 भादवि थाना भोपा मु0नगर।
8.मु0अ0सं0 128/16 धारा 394/411 भादवि थाना भोपा मु0नगर।
9.मु0अ0सं0 129/16 धारा 394/411 भादवि थाना भोपा मु0नगर।
10.मु0अ0सं0 134/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना भोपा मु0नगर।
11.मु0अ0सं0 225/16 धारा 419 भादवि थाना भोपा मु0नगर।
12.मु0अ0सं0 736/16 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना भोपा मु0नगर।
13.मु0अ0सं0 711/17 धारा 452/307/323/504/506 भादवि थाना भोपा मु0नगर।
14.मु0अ0सं0 714/17 धारा 307 भादवि थाना भोपा मु0नगर।
15.मु0अ0सं0 715/17 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोपा मु0नगर।

<u>आपराधिक इतिहास अभियुक्त दीपकः-</u>

1.मु0अ0सं0 217/2020 धारा 60 आब0 अधि0 चालानी थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
2.मु0अ0सं0 101/2021 धारा 13 जी एक्ट चालानी थाना हलदौर जनपद बिजनौर।
3.मु0अ0सं0 129/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना बाबरी शामली।

थाना झिंझाना

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 15,000/- रूपये का 01 इनामी हत्या भियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार बरामद।

आज दिनांक 16.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/इनामी/फरार अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 15 हजार रूपये के 01 इनामी हत्याभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के 04 साथी पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके है।

ज्ञात हो कि दिनांक 05.05.2017 को वादी श्रीमती बबली पत्नी रामा निवासी ग्राम मस्तगढ थाना झिंझाना जनपद शामली द्वारा उसके भाई की हत्या करने के संबंध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी । दाखिल तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था । जिसकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1-राजेश पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम मस्तगढ थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा कांधला क्षेत्रान्तर्गत हुई अंकित की हत्या का किया गया सफल अनावरण , 02 अभियुक्त गिरफ्तार , अभियुक्तों की निशादेही पर आलाकत्ल बरामद।

दिनांक 14.07.2022 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री दिनेश पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली द्वारा अपने छोटे भाई अंकित के साथ गांव के ही अर्जुन, पंकज, विनीत द्वारा लाठी-डन्डों से पीट-पीट कर जान से मार देने के संबंध में थाना कांधला पर लिखित तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर मु0अ0सं0 282/22 धारा 302,506 भादवि में अभियोंग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा प्रभारी निरीक्षक कांधला को निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में आज दिनांक 16.07.2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार , अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा 02 हत्यारोपियो को आलाकत्ल के साथ गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का एक साथी विनित पुत्र अजीत निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त पंकज पुत्र चन्दवीर नि0 ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली द्वारा पूछताछ पर बताया कि दिनांक 11.07. 2022 को मैं व गांव के अर्जुन उर्फ बुलबुल पुत्र योगेन्द व मृतक अंकित पुत्र महेन्द की टयूवैल पर पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान हमारी अंकित के साथ मारपीट हुई थी। अंकित ने मारपीट की बात गाँव में कई लोगो से कही थी । जिससे हम लोग अपनी बेईज्जती महसूस कर रहे थे। दिनांक 13.7.22 को मृतक अंकित के साथ हमारे गांव का आदेश उर्फ भोरपडा पुत्र जीत सिंह उर्फ जीता जो अंकित के खेतों पर काम करता है । मैंने व अर्जुन उर्फ बुलबुल ने आदेश उर्फ भोरपड़ा के मोबाइल से अंकित के मोबाइल पर फोन करवाया था और अंकित को शराब पिलाने के बहाने आदेश से बुलवाया था । अंकित ने फोन से बताया था कि मै कांधला की तरफ हूँ अभी आता हूँ। समय करीब 9.30 बजे रात अंकित अपने बडे भाई दिनेश व प्रवीण के साथ मो0साO से ग्राम कनियान से अपने गांव भनेडा की तरफ आ रहे थे। अंकित को देखकर मैंने व अर्जुन उर्फ बुलबुल ने रोक लिया। तभी मैंने अपने हाथ में लिये हुये डन्डे से अंकित को मारा जो मो०सा० से नीचे गिर गया था तथा अर्जुन उर्फ बुलबुल ने भी अपने हाथ में लिये हये डन्डे से अंकित को मारने लगे तभी अंकित वहाँ से उठकर ग्राम कनियान की तरफ भागने लगा। कुछ दूरी पर जाकर आगे से बायी तरफ ग्राम कनियान के संजीव उर्फ अस्सी के खेत में गिर पडा था। वहाँ जाकर मैंने व पंकज पुत्र चन्द्रवीर ने अंकित की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1.पंकज पुत्र चन्द्रवीर निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली।

2.अर्जुन उर्फ बुलबुल पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम भनेडा थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1. आलाकत्ल 02 लकडी के डन्डे।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा ग्राम बराला में हुई कुर्बान की हत्या का 24 घण्टे में सफल अनावरण , 01 हत्याभियुक्त गिरफ्तार एवं कब्जे से आलाकत्ल बरामदः-

दिनांक 15.07.2022 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री मुस्तकीम पुत्र श्री शौकत निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई कि मेरे सबसे छोटे भाई कुर्बान के साथ छोटे भाई सूफियान द्वारा पैसे के लेन-देन को लेकर अभियुक्त सुफियान ने जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से कुर्बान पर हमला किया जिससे कुर्बान की मौके पर मौत हो गई। तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 369/22 धारा 302 भादवि में अभियोंग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम मे आज दिनांक 16.07 .2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए कुर्बान की हत्या करने वाले 01 हत्याभियुक्त को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त सुफियान पुत्र शौकत नि0 ग्राम बराला थाना कैराना जिला शामली से पूछताछ की गयी तो अभि0 सुफियान द्वारा बताया गया कि मैने अपने भाई कुरबान को सिल्ला नि0 कण्डेला से कुछ महीने पूर्व 11,000/- रुपये उधार दिलवाये थे सिल्ला मुझसे बार बार तकादा कर रहा था मैने अपने भाई कुरबान को कई बार कहा कि उसके पैसे दे दे किन्तु वह नही दे रहा था सिल्ला इसके बदले मेरी मो0सा0 ले गया इससे मुझे अपमानित महसूस हुआ दिनांक 15/7/2022 को समय करीब रात के 11 बजे 11000/- रुपये की उधारी ने देने पर मेरी अपने भाई कुरबान से बहस हो गयी कुरबान ज्यादा बोलने लगा मुझे गुस्सा आ गया मैने घर से छुरा लाकर कुरबान के पेट में छुरा घोपकर अपने सगे भाई कुरबान S/O शौकत ग्राम बराला उम्र 33 वर्ष की हत्या कर दी थी तथा जिस लोहे के छुरे से हत्या की वह मैने अपने कमरे मे रखे सन्दूक में छिपा कर रखा था जिसे मैंने बरामद करा दिया है साहब ड़र की वजह से मैं घर से भाग गया तथा इखों के रास्ते जाकर अपने गाँव के कोका की ईंख के खेत में छिप गया **थाना कैराना पुलिस द्वारा ग्राम बराला में हुई कुर्बान की हत्या का 24 घण्टे में सफल अनावरण, 01 हत्याभियुक्त गिरफ्तार एवं कब्जे से आलाकत्ल बरामदः-**

दिनांक 15.07.2022 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री मुस्तकीम पुत्र श्री शौकत निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली द्वारा थाना कैराना पर तहरीर दाखिल की गई कि मेरे सबसे छोटे भाई कुर्बान के साथ छोटे भाई सूफियान द्वारा पैसे के लेन-देन को लेकर अभियुक्त सुफियान ने जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से कुर्बान पर हमला किया जिससे कुर्बान की मौके पर मौत हो गई। तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 369/22 धारा 302 भादवि में अभियोंग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम मे आज दिनांक 16.07 .2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए कुर्बान की हत्या करने वाले 01 हत्याभियुक्त को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त सुफियान पुत्र शौकत नि0 ग्राम बराला थाना कैराना जिला शामली से पूछताछ की गयी तो अभि0 सुफियान द्वारा बताया गया कि मैने अपने भाई कुरबान को सिल्ला नि0 कण्डेला से कुछ महीने पूर्व 11,000/- रुपये उधार दिलवाये थे सिल्ला मुझसे बार बार तकादा कर रहा था मैने अपने भाई कुरबान को कई बार कहा कि उसके पैसे दे दे किन्तु वह नही दे रहा था सिल्ला इसके बदले मेरी मो0सा0 ले गया इससे मुझे अपमानित महसूस हुआ दिनांक 15/7/2022 को समय करीब रात के 11 बजे 11000/- रुपये की उधारी ने देने पर मेरी अपने भाई कुरबान से बहस हो गयी कुरबान ज्यादा बोलने लगा मुझे गुस्सा आ गया मैने घर से छुरा लाकर कुरबान के पेट में छुरा घोपकर अपने सगे भाई कुरबान S/O शौकत ग्राम बराला उम्र 33 वर्ष की हत्या कर दी थी तथा जिस लोहे के छुरे से हत्या की वह मैने

अपने कमरे मे रखे सन्दूक में छिपा कर रखा था जिसे मैंने बरामद करा दिया है साहब ड़र की वजह से मैं घर से भाग गया तथा इखों के रास्ते जाकर अपने गाँव के कोका की ईंख के खेत में छिप गया जो बराला से कसेरवा रोड़ पर है वहाँ पर जाकर लेट गया तथा पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सूफियान पुत्र शौकत निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.आलाकत्ल 01 चाकू।

थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 01 बकरा चोर गिरफ्तार , कब्जे से चोरी का बकरा व 02 अदद चाकू बरामदः-

आज दिनांक 17.06.22 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति /चोर की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर 01 बकरा चोर मय 01 बकरा व 02 अदद चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फुरकान पुत्र हाजी नन्हा उर्फ रफीक थाना कैराना जिला शामली

2. परवेज पुत्र नफीस निवासीगण ग्राम रामडा थाना कैराना जिला शामली

बरामदगी का विवरणः-

1.01 बकरा

2.02 अदद छुरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री पवन कुमार यादव थाना कैराना जनपद शामली

2. का0 अंकित थाना कैराना जनपद शामली

3. का0 नीरज कुमार थाना कैराना जनपद शामली

4. का0 मुनेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली